स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 221, दिनांक 11–09–2020

अन्तर्राज्यीय स्तर पर असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 02 सक्रिय सदस्य 21 अवैध अर्धस्वचलित पिस्टल के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 11–09–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 02 सक्रिय सदस्यों को 21 अदद पिस्टल मय मैगजीन सहित जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. अमरेश सिंह पुत्र अनिल सिंह नि0 ग्राम धनछुला, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।
2. प्रिन्श कुमार सिंह पुत्र अनिल सिंह, ग्राम–सोनिसा, थाना रानीपुर, मऊ।

बरामदगी :–

1. 21 अदद पिस्टल .32 बोर।
2. 42 अदद मैगजीन .32 बोर।
3. 03 अदद मोबाईल फोन।
4. 02 अदद फर्जी पुलिस परिचय पत्र।
5. 01 अदद आधार कार्ड।
6. 01 अदद पैन कार्ड।
7. रूपये 1,530/– नगद।

गिरफ्तारी का स्थानः–

चिनहट कोकाकोला एजेन्सी के सामाने दिनांक 11.09.2020

विगत दिनों से एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय असलहा तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुख्य आरक्षी संतोष सिंह को विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आज दिनांक 11–09–2020 को असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना स्वंय 01 सदस्य के साथ मध्य प्रदेश के खण्डवा जनपद से अवैध असलहा की खेप लेकर कामता तिराहा जनपद लखनऊ के पास आने वाला है। इस सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर रवाना की गयी। एसटीएफ टीम उक्त स्थान पर पहुचकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अमरेश ने पूछताछ पर बताया कि उसने मध्य प्रदेश के जनपद खरगोन व खण्डवा में अवैध असलहे (पिस्टल) का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विक्री करने का बड़ा नेटवर्क बनाया है। जिसमें वह प्रति माह 50–60 पिस्टलें तैयार कराकर बिक्री कर देता है। वह एवं सद्दाम हुसैन मध्य प्रदेश के पिस्टल बनाने वाले लोगों को साथ में मिलाकर उनसे अवैध पिस्टलों का निर्माण कराते है तथा उन्हें तैयार कराकर उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में बेचते है।

उल्लेखनीय है कि सद्दाम हुसैन पुत्र मो0 आजम, नि0 जमीलपुर, थाना महराजगंज, आजमगढ़ निवासी है। जिसको एसटीएफ उ0प्र0 ने पूर्व में भी 23 पिस्टलो के साथ जनपद हरदोई से गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो वर्ममान में जमानत पर है। जमानत पर छूटने के बाद से ही वह इसके साथ काम करना शुरू कर दिया था, इन लोगो ने बताया कि एक पिस्टल बनाने का कुल खर्च लगभग 10 हजार का आता है, जिसे विभिन्न राज्यों में सीधे खरीददार को 28 से 30 हजार रूपये में एवं बिचौलियों को 25 हजार रूपये में बेचते है। इस तरह यह लोग एक पिस्टल पर 15 से 18 हजार प्रति पिस्टल कमाई कर लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना चिनहट, जनपद–लखनऊ में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।